भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 231
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: तेल मिलों का आधुनिकीकरण

***231. श्री राहुल कस्वां:**
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ऐसी कितनी तेल मिलें हैं जो उप-इष्टतम तेल निकासी वाली निम्न-प्रौद्योगिकी, यांत्रिक पेराई विधियों पर निर्भर हैं और चूरू में वर्तमान में ऐसी कितनी इकाइयां कार्यरत हैं;
(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यांत्रिक पेराई से तेल निकाली गई खली (केक) में 8-14 प्रतिशत पेराई योग्य तेल रह जाता है जिससे बड़ी मात्रा में खाद्य तेल मानव उपभोग के लिए अनुपलब्ध हो जाता है;
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा निष्कर्षण प्रौद्योगिकीयों के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) ऐसे उन्नयन के लिए छोटे और मध्यम स्तर के ऑपरेटरों को कितनी वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता प्रदान की गई है; और
(ङ) प्रौद्योगिकी उन्नयन से निष्कर्षण की दर तथा किसानों के पारिश्रमिक में कितनी वृद्धि होने और खाद्य तेलों के आयात में कितनी कमी आने की संभावना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“तेल मिलों का आधुनिकीकरण” विषय के संबंध में लोक सभा में दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 231 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, संगठित खाद्य तेल क्षेत्र में लगभग 15,000 तेल मिलें (क्रशिंग यूनिटे) हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 36 मिलियन टन है। (स्रोत: नीति आयोग, खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर विकास को तेज़ करने के लिए रास्ते और रणनीति)। उद्यम पंजीकरण के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के चूरू जिले में ऑयल मैन्युफैक्चरिंग की कुल 104 इकाइयाँ पंजीकृत हैं।

चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, खाद्य तेल निष्कर्षण की दक्षता फसल में निहित प्राकृतिक तेल मात्रा तथा प्रसंस्करण में प्रयुक्त तकनीक दोनों से प्रभावित होती है।

तिलहन	**निहित तेल की मात्रा (%)**	**मैकेनिकल एक्सपेलर रिकवरी (%)**	**सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन रिकवरी (%)**	**टिप्पणियाँ**
सरसों / रेपसीड	38–42	30–33	38–40	घरेलू खाद्य तेल का सबसे बड़ा स्रोत; उत्तर भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है।
मूंगफली	42–50	32–35	45–48	गुजरात और दक्षिण भारत प्रमुख उत्पादक; उच्च तेल की मात्रा ।
सोयाबीन	17–20	12–14	18–20	खाद्य तेल और प्रोटीन भोजन के लिए महत्वपूर्ण; अधिकतर सॉल्वेंट निष्कर्षण विधि से निकाला जाता है।
सूरजमुखी	38–45	28–32	40–42	नमी के प्रति संवेदनशील; सॉल्वेंट निष्कर्षण विधि से अधिक निकलता है।
तिल	45–55	35–40	48–52	प्रीमियम तेल; अधिकतर पारंपरिक रूप से एक्सपेलर प्रक्रिया से निकाला जाता है।
कपास बीज	15–20	8–10	14–18	तेल की मात्रा कम; प्रायः सॉल्वेंट निष्कर्षण विधि से निकाला जाता है।
अरंडी (अखाद्य)	45–50	42–45	48–50	औद्योगिक/रासायनिक उपयोग में काम आता है।

यांत्रिक स्क्रू-प्रेस की दक्षता कम होती है जबकि आधुनिक सॉल्वेंट-निष्कर्षण विधि से तेल की प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 03 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को 10,103.38 करोड़ रुपये के परिव्यय (केंद्र सरकार के 7,481.67 करोड़ रुपये के अंश सहित) के साथ मंजूरी दी है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030–31 तक प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 69.7 मिलियन टन तक बढ़ाना, क्षेत्र कवरेज को 33 मिलियन हेक्टेयर तक विस्तारित करना और उत्पादकता को 2,112 किलोग्राम/हेक्टेयर तक बढ़ाना हैं।

मिशन का क्रियान्वयन बाजार संपर्क के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के आधार पर किया जा रहा है। मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों का प्रबंधन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों जैसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा किया जाता है। इन क्लस्टरों के अंतर्गत किसानों को प्रति किसान 1 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाले बीज और अच्छी कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह मिशन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से तेल निष्कर्षण में सुधार के लिए फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर (ऑयल मिलों) की स्थापना और उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करता है। अब तक, वर्ष 2025–26 में एनएमईओ-ओएस के तहत 203 ऑयल मिलों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसका राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

देश में वर्ष 2021 से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन– ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) को ऑयल पाम का क्षेत्र विस्तार करके, कच्चे पाम ऑयल (सीपीओ) के उत्पादन को बढ़ाकर ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करने और खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता में कमी लाने का प्रयास करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत, किसानों को रोपण सामग्री, रखरखाव एवं अंतरफसल हेतु आवश्यक इनपुट (चार वर्ष तक की अवधी में), सीड गार्डन, नर्सरीयों, सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएँ, बोरवेल, पंप-सेट, जल संचयन संरचनाएँ, वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयाँ, सोलर पंप, हार्वेस्टिंग उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर/हार्वेस्टर समूह इत्यादि की स्थापना, किसानों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण के साथ-साथ पुराने ऑयल पाम बागानों का पुनर्रोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी राज्यों में ताज़े फल गुच्छों के प्रसंस्करण हेतु ऑयल मिलों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

दोनों मिशनों (एनएमईओ-ओएस और एनएमईओ-ओपी) का उद्देश्य किसानों तक उन्नत किस्मों और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रसार करके वर्ष 2030–31 तक देश के खाद्य तेल उत्पादन को दोगुना करना है।

अनुबंध -I

वर्ष 2025-26 के दौरान एनएमईओ-तिलहन के तहत राज्यवार स्वीकृत तेल मिलें:

क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत तेल मिलें (संख्या में)**
1	आंध्र प्रदेश	10
2	असम	56
3	छत्तीसगढ़	10
4	गुजरात	9
5	झारखंड	4
6	कर्नाटक	9
7	महाराष्ट्र	22
8	मध्य प्रदेश	11
9	मेघालय	2
10	नागालैंड	16
11	ओडिशा	16
12	राजस्थान	13
13	सिक्किम	10
14	तेलंगाना	10
15	उत्तर प्रदेश	3
16	पश्चिम बंगाल	2
कुल		**203**

******